उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन,14–अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्र सं0–102–विनियम एवं काविनी / पाकालि / 78 विनियम / 16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 19.09.2016 को सम्पन्न हुई 126वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (अद्यतन संशोधित) के भाग–3 (भर्ती का स्रोत) के विनियम–5 (1)(सी) एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (अद्यतन संशोधित) के भाग–3 (भर्ती) के विनियम–5 (1)(iii) सपठित आदेश सं0 173–विनियम एवं काविनी / 2013–05–विनियम / 88 (टीसी) दिनांक 28.11.2014 मे 1.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु यथा प्राविधानित कला संवर्ग के संगणक (प्रवर श्रेणी) वर्तमान मे तकनीकी सहायक (प्रवर श्रेणी) के पद की व्यवस्था को समाप्त किये जाने हेतु अधोलिखित तालिका के स्तम्भ–1 मे वर्णित वर्तमान प्राविधानों को स्तम्भ–2 के अनुसार एतदद्वारा संशोधित / प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ–1 (वर्तमान प्राविधान)	स्तम्भ–2 (संशोधित / प्रतिस्थापित प्राविधान)
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (अद्यतन संशोधित)	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 (अद्यतन संशोधित)
विनियम–5(1)(सी)–स्थाई एवं अर्ह संगणकों (प्रवर श्रेणी) (वि0 एवं यॉ0) से प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट–सी मे विहित रीति के अनुसार–1.33 प्रतिशत।	विनियम–5(1)(सी)–स्थाई एवं अर्ह संगणकों (वि0 एवं यॉ0) से प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट–सी मे विहित रीति के अनुसार–1.33 प्रतिशत।
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (अद्यतन संशोधित)	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 (अद्यतन संशोधित)
विनियम–5(1)(iii)–स्थाई एवं अर्ह संगणकों (प्रवर श्रेणी) (सिविल) से प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट–बी मे विहित रीति के अनुसार–1.33 प्रतिशत।	विनियम–5(1)(iii)–स्थाई एवं अर्ह संगणकों (सिविल) से प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट–बी मे विहित रीति के अनुसार–1.33 प्रतिशत।

तदनुसार अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 एवं सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा विनियमावली–1970 सपठित आदेश सं0 173–विनियम एवं काविनी / 2013–05–विनियम / 88 (टीसी) दिनांक 28.11.2014 उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या:102–(1) विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) / उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास) विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 19.09.2016 को सम्पन्न 126वीं बैठक के मद सं0–718 / पाकालि / बैठक (126–49) 2016 दिनांक 06.10.2016 के सन्दर्भ में।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शेष कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (विनियम)